

प्रधान कार्यालय मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

कार्यालय आदेश

पत्रांक : /स्था०शा०/सांख्यिकीय सेवा नियमावली/12-13, दिनांक ०१ जनवरी, 2013

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित विधायी परिशिष्ट भाग 4 खण्ड (क) सामान्य परिनियम के अन्तर्गत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन माननीय राज्यपाल महोदय के आदेशानुसार कार्मिक अनुभाग-1 के अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या- 13(10) 2004/का-1-2012, दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली 2012 प्रख्यापित की गयी है।

मत्स्य विभाग उ०प्र० के सांख्यिकीय संवर्ग का पुनर्गठन शासनादेश संख्या - 3176/सत्रह-म०-2010-6-8(62) 98 टी०सी०, दिनांक: 21 जून, 2011 द्वारा किया जा चुका है, जिसके अनुसार विभाग में अपर सांख्यिकीय अधिकारी, वेतन बैंड-2, रु० (9300-34800) एवं ग्रेड वेतन- रु० 4600/- में कार्मिक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 15/140/81/का-1-2012 लखनऊ, दिनांक 14 मई, 2012 के अनुसार समूह 'ख' के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

उपरोक्त नियमावली में विहित प्राविधान के अनुसार सांख्यिकीय सेवा में समूह 'ख' के पद को राजपत्रित घोषित किया गया है। तदनुसार मत्स्य विभाग के सांख्यिकीय संवर्ग के अपर सांख्यिकीय अधिकारी पद की प्रास्थिति (स्टेटस) समूह 'ख' राजपत्रित अधिकारी के रूप में नियमानुसार निर्धारित की जाती है।

हस्ताक्षर :-
(डी०के० सिंह)
निदेशक,

मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक : 58 /स्था०शा०/सांख्यिकीय सेवा नियमावली/12-13, उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अपर सांख्यिकीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त उप निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश को उक्त नियमावली की प्रति सहित।
3. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
5. समस्त अपर सांख्यिकीय अधिकारियों की सेवा पुस्तिका हेतु।
6. समस्त अधिकारी/शाखा प्रभारी/आशुलिपिक, मुख्यालय।
7. भण्डारी/अवर अभियन्ता (मु०) को इस निर्देश के साथ कि मुख्यालय में कार्यरत समस्त अपर सांख्यिकीय अधिकारियों को उनके बैठने की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ नाम पट्टिका, मुहर आदि तत्काल उपलब्ध कराने हेतु।
8. प्रमुख सचिव, मत्स्य, उ०प्र० शासन, लखनऊ।

(डी०के० सिंह)
निदेशक,

मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ